भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं.\*112

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**खेलों में सट्टेबाजी के विनियमन के संबंध में विधि आयोग की रिपोर्ट**

**\*112. श्रीमती विजिला सत्यानंतः**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि आयोग ने सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि चूंकि अवैध सट्टेबाजी को रोका जाना असंभव है, अतः एक मात्र व्यवहार्य विकल्प खेलों में सट्टेबाजी को विनियमित किया जाना ही रह गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पैनल ने यह इच्छा व्यक्त की है कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए सट्टेबाजी संव्यवहार की अधिकतम संख्या निर्धारित करे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) से (घ) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया है।

**राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. \*112, जिसका उत्तर तारीख 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है, के संबंध में निर्दिष्ट विवरण**

**(क) और (ख) :** भारतीय विधि आयोग ने **“विधिक ढांचा : भारत में द्यूत और क्रिकेट सहित खेल में सट्टेबाजी”** नामक अपनी 276वीं रिपोर्ट सरकार को 05.07.2018 को प्रस्तुत की । 276वीं रिपोर्ट और स्पष्टीकरण के लिए प्रैस नोट को भारतीय विधि आयोग की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया, आयोग ने रिपोर्ट के पृष्ठ 115 पर पैरा 9.7 के माध्यम से स्पष्ट किया है कि विधि विरुद्ध कार्यकलापों को निवारित करने के लिए **दृढता से और स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई है कि भारत में वर्तमान स्थिति में सट्टेबाजी और द्यूत वांछनीय नहीं है तथा विधि विरुद्ध सट्टेबाजी और द्यूत पर संपूर्ण रोक को अवश्य ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।** फिर से **पैरा 9.8 के माध्यम से, यह सिफारिश की गई है कि द्यूत पर नियंत्रण करने के लिए, यदि संपूर्ण रोक को प्रवृत्त करना संभव नहीं है, तो प्रभावी विनियमन ही एकमात्र साध्य विकल्प है,** जिससे कि विधि विरुद्ध क्रियाकलापों को निवारित किया जा सकेऔर संसद् या राज्य विधान मंडलों द्वारा इन गतिविधियों को विनियमित करने का विनिश्चय करने की दशा में, आयोग ने अनेक मार्गदर्शक सिद्धांतों और सुरक्षापायों की सिफारिश की है **।**

**(ग) और (घ) :** भारतीय विधि आयोग ने अध्याय 9 की पृष्ठ सं. 116 पर पैरा 5 में सिफारिश की है/सुझाव दिया है कि द्यूत और सट्टेबाजी, यदि कोई हो, का क्रीड़ा अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त वैध अनुज्ञप्ति रखने वाले भारत के, भारतीय अनुज्ञप्ति प्रचालकों द्वारा ही प्रस्ताव किया जाना चाहिए । भागीदारों के लिए, **किसी विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् मासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक, में इन क्रियाकलापों में लिप्त किसी व्यष्टिक द्वारा किए जाने वाले संव्यवहारों की संख्या पर अनिवार्य रूप से सीमा होनी चाहिए ।** दांव की प्रकृति पैन कार्ड और आधार कार्ड से जोड़ने वाले धन तक ही निर्बंधित होनी चाहिए तथा किसी व्यक्ति द्वारा द्यूत में दांव पर विधिक रूप से लगाई जा सकने वाली रकम की ऊपरी सीमा विधि द्वारा विहित होनी चाहिए, जो जमा की गई रकम, जीत या हार के आधार पर हो सकेगी । यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*